



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267512
CG-DL-E-10112025-267512

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947

No. 329]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

फा. सं. 2025/सीआरबी एंड सीईओ-सीसी/4/11 – रेल अधिनियम 1989, की धारा 2क समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल मंत्रालय के दिनांक 27.05.2022 एवं 10.12.2019 के संकल्प के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोजनीयता – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (वरिष्ठ पदों हेतु चयन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
(3) ये नियम अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, सदस्य, अन्य स्तर-17 पद, संवर्ग बाह्य स्तर-16 पद और अन्य सेवा विशिष्ट स्तर-16 पदों पर लागू होंगे।
- परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - “अधिनियम” से रेल अधिनियम, 1989 समय-समय पर यथा संशोधित अभिप्रेत है;
 - “बोर्ड” से रेल अधिनियम, 1989 समय-समय पर यथा संशोधित के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत गठित रेलवे अभिप्रेत है;

- ग. "स्तर 16" से उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी + वेतन स्तर (एल 16) केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स में यथा विनिर्दिष्ट या किसी तत्पश्चात संशोधन अभिप्रेत है;
- घ. "स्तर 17" से शीर्ष वेतन स्तर (एल 17) केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स में यथा विनिर्दिष्ट या किसी तत्पश्चात संशोधन अभिप्रेत है;
- ङ. "संगठित समूह-क सेवा" से भारतीय रेल लेखा सेवा (आईआरएएस)/आईआरएमएस (लेखा), भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसई)/आईआरएमएस (इंजीनियरी), भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएसई)/आईआरएमएस (एस एंड टी), भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस)/आईआरएमएस (यातायात), भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएमई)/आईआरएमएस (यांत्रिक), भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा (आईआरएसईई)/आईआरएमएस (विद्युत), भारतीय रेल भंडार सेवा (आईआरएसएस)/आईआरएमएस (भंडार), भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आईआरपीएस)/आईआरएमएस (कार्मिक) अभिप्रेत है;
- च. "सेवा नियम" से संवर्ग या सेवा, जिससे कोई अधिकारी संबंधित है, जिसमें भारतीय रेल स्थापना संहिता, रेलवे सेवा (पेंशन) नियम शामिल हैं, पर लागू नियम और अन्य लागू केंद्रीय सिविल सेवा नियम अभिप्रेत है।;

3. रेलवे बोर्ड में स्तर-17 के पद:

#	पद
1	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड
2	सदस्य (वित्त)
3	सदस्य (अवसंरचना)
4	सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)
5	सदस्य (कर्षण और रोलिंग स्टॉक)
6	महानिदेशक (मानव संसाधन)
7	महानिदेशक (संरक्षा)

अध्याय 1 : अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड की नियुक्ति

4. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड की नियुक्ति

रेलवे बोर्ड में एल-17 में कार्यरत सभी अधिकारी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। रेल मंत्रालय द्वारा किसी एक अधिकारी को उनके अनुभव प्रोफाइल, योग्यता, सामान्य प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया जाएगा।

5. अध्याय 2 : अन्य स्तर-17 पदों हेतु चयन

चयन हेतु पात्रता

(क)

एल-17 के 06 पदों के लिए पात्र सेवाओं का विवरण

#	पद	सेवा, जहां से अधिकारी पात्र होंगे
1	सदस्य (वित्त)	भारतीय रेल लेखा सेवा (आईआरएएस)/आईआरएमएस (लेखा)
2	सदस्य (अवसंरचना)	भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसई)/आईआरएमएस (इंजीनियरी), भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएसई)/आईआरएमएस (एस एंड टी)
3	सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस)/आईआरएमएस (यातायात),
4	सदस्य (कर्षण और रोलिंग स्टॉक)	भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएमई)/आईआरएमएस (यांत्रिक), भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा (आईआरएसईई)/आईआरएमएस (विद्युत), भारतीय रेल भंडार सेवा (आईआरएसएस)/आईआरएमएस (भंडार),
5	महानिदेशक (मानव संसाधन)	भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आईआरपीएस)/आईआरएमएस (कार्मिक)
6	महानिदेशक (संरक्षा)	आईआरएसई, आईआरटीएस, आईआरएसएमई, आईआरएसईई एवं आईआरएसएसई/ आईआरएमएस (इंजी.), आईआरएमएस (यातायात), आईआरएमएस (यांत्रिक), आईआरएमएस (विद्युत), आईआरएमएस (एस एंड टी)

(ख)

उपर्युक्त उप-धारा (क) के पदों के लिए, प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित सेवाओं के अधिकारी, जो नियमित आधार पर संवर्ग बाह्य स्तर-16 पदों पर या सेवा-विशिष्ट स्तर-16 पदों पर कार्यरत हैं, पर विचार किया जाएगा। संवर्ग बाह्य स्तर-16 पदों पर कार्यरत अधिकारियों की सेवा आईआरएमएस/संवर्ग बाह्य में उनकी नियुक्ति से पहले की रेल सेवा होगी।

(ग)

केवल वे अधिकारी पात्र होंगे जिनकी रिक्ति की तारीख को कम से कम एक वर्ष की सेवा शेष होगी।

6. पद्धति

(क)	पैनल वर्ष के जनवरी से मार्च तक रिक्त रहने वाले पदों के लिए विज्ञापन पूर्ववर्ती वर्ष की 1 जून को दिया जाएगा, जबकि पैनल वर्ष के अप्रैल से दिसंबर तक रिक्त रहने वाले पदों के लिए विज्ञापन पैनल वर्ष की 1 जनवरी को दिया जाएगा।
(ख)	रिक्ति की तारीख पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख होगी।
(ग)	कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की जाएगी, जिसमें सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड भी इसके सदस्य होंगे। चयन समिति द्वारा आवेदनों की जाँच की जाएगी और एल-17 पदों पर नियुक्ति हेतु मंत्रिमंडल की नियुक्ति

	समिति के विचारार्थ पद-वार अनुशंसा की जाएगी। चयन समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आकलन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करेगी।
(घ)	चयन समिति द्वारा प्रत्येक पद के लिए दो नाम के एक पैनल की अनुशंसा की जाएगी, जिनमें से एक नाम 'आरक्षित' होगा और उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा, जिसका उपयोग उस स्थिति में किया जाएगा, जब अनुशंसित उम्मीदवार किसी कारणवश कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो। आरक्षित नाम, चयनित उम्मीदवार द्वारा पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने चयन समिति द्वारा अनुशंसा की तारीख से छह महीने तक, जो भी पहले हो, तक लागू रहेंगे।
(ङ.)	वर्ष के दौरान रिक्त होने वाले किसी भी अप्रत्याशित पदों को उस पद के लिए आरक्षित नाम से भरा जा सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवार अन्यथा योग्य पाया जाए।

अध्याय 3 : संवर्ग बाह्य स्तर-16 के पदों पर नियुक्ति

7. संवर्ग बाह्य स्तर-16 पदों की सूची

#	पद	संख्या
1	महाप्रबंधक (क्षेत्रीय रेलवे) मेट्रो रेलवे सहित	18
2	महाप्रबंधक, सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै	1
3	महाप्रबंधक, चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना, चित्तरंजन	1
4	महाप्रबंधक, बनारस रेलइंजन कारखाना, वाराणसी	1
5	महाप्रबंधक, रेल पहिया कारखाना, बेंगलुरु	1
6	महाप्रबंधक (निर्माण), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी	1
7	महाप्रबंधक, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली	1
8	महाप्रबंधक, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रयागराज	1
9	महाप्रबंधक, रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला	1
10	महानिदेशक, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ	1
11	अपर सदस्य, योजना, रेलवे बोर्ड	1
12	सचिव, रेलवे बोर्ड	1
	कुल	29

8. संवर्ग-बाह्य स्तर-16 पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने के सिद्धांत

- एक कैलेंडर वर्ष में रिक्त होने वाले पदों के लिए एक पैनल तैयार किया जाएगा।
- पैनल वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार, कम से कम 2 (दो) वर्ष की शेष सेवा वाले अधिकारी पद पर विचार करने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदन बैच-वार आमंत्रित किए जाएँगे। बहरहाल, सभी वरिष्ठ बैच के अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

- घ) इन संवर्ग बाह्य स्तर-16 के पदों के लिए पैनल को पात्र उम्मीदवारों में से तैयार किया जाएगा, जिसमें रेल मंत्रालय द्वारा व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से सर्वोत्तम उपयुक्त अधिकारियों का चयन किया जाएगा और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- ङ) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से रिक्तियों और पैनलबद्ध अधिकारियों की उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। पैनलबद्ध अधिकारियों की नियुक्ति पदों के रिक्त होने पर की जाएगी।
- च) इसमें कोई विभागीय कोटा नहीं होगा। साथ ही, महाप्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई ओपन लाइन बनाम नॉन-ओपन लाइन का भेद नहीं होगा।

9. संवर्ग बाह्य स्तर-16 के पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने की प्रक्रिया

9.1 पात्रता

संवर्ग बाह्य स्तर-16 के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु अधिकारी, आठ संगठित समूह 'क' सेवाओं में से किसी एक सेवा से संबंधित हो और नियमित आधार पर स्तर-15 [उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)] या उससे ऊपर के ग्रेड में कार्यरत हो।

9.2 संवर्ग बाह्य स्तर-16 में नियुक्ति हेतु विचारार्थ बैच के पात्र अधिकारियों से आवेदन करने के लिए कहा जाएगा। आवेदन में निम्नलिखित शामिल हो:

- i) अधिकारी द्वारा सामना की गई शीर्ष पाँच चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ
- ii) संगठन में सेवाकाल के दौरान शीर्ष पाँच उपलब्धियों का विवरण
- iii) टीम के सदस्य के रूप में प्रभावपूर्ण योगदान की शीर्ष पाँच स्थितियाँ
- iv) टीमों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने की शीर्ष तीन स्थितियाँ
- v) अधिकारी द्वारा पूरे करियर में किए गए शीर्ष तीन प्रणालीगत परिवर्तन

9.3 अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव और रेल मंत्री द्वारा नामित एक गैर-रेल अधिकारी (जैसे सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, या सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, आदि) की एक चयन समिति द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर अधिकारी का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा: i) एसीआर/ एपीएआर का विशेषज्ञ पैनल द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/ वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का मूल्यांकन; ii) विशेषज्ञ पैनल का बहु-स्रोत फीडबैक; और iii) आवेदन।

पैनल तैयार करने हेतु निर्णय लेने के लिए चयन समिति की सहायता हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया के आंतरिक दिशानिर्देश अनुसूची-I के रूप में संलग्न हैं।

इस समग्र मूल्यांकन के आधार पर, चयन समिति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन हेतु संवर्ग बाह्य स्तर-16 के कैलेंडर वर्ष के दौरान रिक्त होने वाले पदों के 1.25 गुना पदों के पैनल की अनुशंसा की जाएगी। इन 25% अधिक पैनलबद्ध अधिकारियों को एक विस्तारित पैनल के रूप में रखा जाएगा, जिसे पैनल की वैधता के दौरान अचानक या अप्रत्याशित परिस्थितियों से रिक्त होने वाले पदों की संभावित स्थिति में उपयोग किया जाएगा।

9.4. चयन समिति की बैठकों की आवधिकता और पैनल का कार्यकाल

चयन समिति की बैठक आगामी कैलेंडर वर्ष में पदों के रिक्त होने से पहले समय रहते आयोजित की जाएगी। यह पैनल उस पैनल वर्ष की 31 दिसंबर तक वैध रहेगा।

9.5 वर्ष के दौरान संवर्ग बाह्य स्तर-16 में अचानक या अप्रत्याशित स्थिति में रिक्त होने वाले पदों को भी समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से भरा जाएगा।

10. संवर्ग बाह्य स्तर-16 के पदों पर पैनलबद्ध अधिकारियों की नियुक्ति

क. पैनल में शामिल होने से किसी विशेष पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

ख. संवर्ग बाह्य स्तर-16 के लिए पैनलबद्ध सभी अधिकारी संवर्ग बाह्य स्तर-16 के सभी पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे। भरे जाने वाले पदों की विशिष्ट आवश्यकताओं और इनके लिए पैनलबद्ध अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा व्यापक मूल्यांकन के आधार पर अधिकारियों की संवर्ग बाह्य स्तर-16 और समकक्ष के रूप में अनुशंसा की जाएगी।

ग. रेल मंत्रालय इन अधिकारियों को रेलवे की प्रभावपूर्ण कार्यप्रणाली के हित में समीचीन होने पर कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है।

अध्याय 4 : सेवा विशिष्ट स्तर-16 पदों पर नियुक्ति

11.1 सेवा विशिष्ट स्तर-16 पदों की सूची

(वर्तमान पदों की सूची तथा विवरण और कार्य रेलवे की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर परिवर्तन के अनुसार हैं)

क्र.सं.	सेवा	पदनाम
1.	आईआरएस	अपर सदस्य (वित्त)
2.		अपर सदस्य (बजट)
3.		महानिदेशक (इरिफिम), सिकंदराबाद
4.		अपर सदस्य (राजस्व)
5.	आईआरपीएस	अपर सदस्य (कार्मिक)
6.		अपर सदस्य (मानव संसाधन)
7.	आईआरएसई	अपर सदस्य (सिविल इंजीनियरी)
8.		अपर सदस्य (निर्माण)
9.		विशेष महानिदेशक (इंजीनियरी)/आरडीएसओ/लखनऊ
10.		अपर सदस्य (भूमि एवं सुविधाएं)
11.		महानिदेशक (इरिसेन), पुणे
12.	आईआरएसईई	अपर सदस्य (रेल विद्युतीकरण)
13.		अपर सदस्य (कर्षण)
14.		महानिदेशक (इरीन), नासिक
15.		प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (पीएलडब्ल्यू), पटियाला
16.	आईआरएसएमई	अपर सदस्य (यांत्रिक)
17.		अपर सदस्य (उत्पादन इकाइयां)

क्र.सं.	सेवा	पदनाम
18.		अपर सदस्य (पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन)
19.		महानिदेशक (इरिमी), जमालपुर
20.		प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आरडब्ल्यूपी), बेला
21.	आईआरएसएस	अपर सदस्य (रेल भंडार)
22.		विशेष महानिदेशक (वेंडर डेवलपमेंट)/आरडीएसओ/लखनऊ
23.	आईआरएसएसई	अपर सदस्य (सिगनल)
24.		अपर सदस्य (दूरसंचार)
25.		महानिदेशक (इरीसेट), सिकंदराबाद
26.	आईआरटीएस	अपर सदस्य (यातायात)
27.		अपर सदस्य (वाणिज्य)
28.		अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान)
29.		अपर सदस्य (विपणन एवं व्यवसाय विकास)
30.		महानिदेशक (इरिटिम), लखनऊ

11.2 पात्रता

- क.** सेवा विशिष्ट पदों के लिए, संबंधित सेवा के वेतन स्तर 15 में नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारियों पर उनकी वरिष्ठता के क्रम में विचार किया जाएगा।
- ख.** केवल ऐसे अधिकारी ही इन पदों पर विचार किए जाने के पात्र होंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व उनकी बारी में आने वाली रिक्ति की तारीख को कम से कम एक वर्ष की सेवा शेष हो।
- ग.** अपर सदस्य (यातायात), अपर सदस्य (यांत्रिक इंजीनियरी), अपर सदस्य (सिविल इंजीनियरी), अपर सदस्य (कर्षण) और अपर सदस्य (सिगनल) के पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित अधिकारी को उपर्युक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त इन पदों के लिए उपयुक्त न्यूनतम 15 माह के कार्यकाल में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) के रूप में कार्य किया हो, क्योंकि इन पदों के पदधारी रेल परिचालन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं।
- घ.** अपर सदस्य के पदों के लिए पदधारी की अनुशंसा एक चयन समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति में सदस्य के रूप में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, सचिव/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और रेलवे बोर्ड के संबंधित सदस्य शामिल होंगे।
- ङ.** अधिकारी का समग्र कार्यनिष्पादन रिकॉर्ड उनके पिछले 10 वर्षों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में 'बहुत अच्छा (+)' होना चाहिए। चयन समिति द्वारा विचाराधीन क्षेत्र के अधिकारियों का मूल्यांकन उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) (10 वर्ष), विभिन्न पदों पर, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण पदों पर, अधिकारी द्वारा अर्जित संगत अनुभव, उनके तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव तथा उच्चतर चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व संभालने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, चयन समिति द्वारा केवल उन अधिकारियों की अनुशंसा की जानी चाहिए जो कर्तव्यनिष्ठ और स्वच्छ रिकॉर्ड वाले हों और अन्यथा ऊपर 11.1 में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों, ताकि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन हेतु उनकी सिफारिश की जा सके।

12. सामान्य**12.1 प्रवृत्त होने की तारीख**

- (i) दिनांक 27 मई, 2022 के संकल्प के अनुसार कोई भी प्रक्रियाधीन पैनल या नियुक्ति का कोई भी प्रस्ताव इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से समाप्त हो जाएगा।
- (ii) सभी मौजूदा और भावी रिक्तियां भारतीय रेल (वरिष्ठ पदों हेतु चयन) नियम, 2025 के अनुसार भरी जाएंगी।

13. शिथिलता

इन नियमों के उपर्युक्त उल्लिखित उपबंधों से संबंधित यदि कोई प्रश्न उठता है तो सार्वजनिक हित में अन्यथा उचित समझे जाने पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के पूर्व अनुमोदन से, आवश्यकतानुसार शिथिल किया जा सकता है।

14. निर्वचन

इन नियमों के निर्वचन से संबंधित यदि कोई प्रश्न उठता है तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के पूर्व अनुमोदन से रेल मंत्रालय द्वारा इसका विनिश्चय किया जाएगा।

15. समग्र मूल्यांकन से संबंधित दस्तावेजों को व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः गोपनीय माना जाएगा।**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रतिलिपि विभिन्न समूह 'क' रेल सेवाओं के सदस्यों में परिपत्रित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को आम जनता की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आनन्द कुमार, स्थापना अधिकारी

अनुसूची-1

रेलवे में लेवल-16 (उच्च प्रशासनिक ग्रेड+) के संवर्ग बाह्य पदों पर अधिकारियों के चयन हेतु व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए आंतरिक दिशानिर्देश

1. बैच-वार पैनल बनाना

पैनल बैच-वार बनाया जाएगा। इसमें कोई विभागीय कोटा नहीं होगा। पैनलबद्ध अधिकारियों की नियुक्ति पदों के रिक्त होने पर की जाएगी। अगले बैच के लिए पैनल पहले ही तैयार कर लिया जाएगा ताकि अगले पैनल वर्ष के दौरान रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए नए पैनल पर विचार किया जा सके।

2. विशेषज्ञ पैनल का गठन

क) सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक समूह में से एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जाएगा। पैनल का चयन अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाएगा।

ख) पैनल बनाने के लिए निम्नलिखित रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों पर विचार किया जाएगा:

- बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य
- भारत सरकार के सचिव
- महाप्रबंधक

- अपर सदस्य
- प्रधान विभागाध्यक्ष

ग) यह विशेषज्ञ पैनल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (एसीआर)/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का मूल्यांकन करने, विभिन्न स्रोतों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करेगा।

3. वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (एसीआर)/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का मूल्यांकन

क) मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ संपूर्ण करियर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (एसीआर)/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) पर विचार किया जाएगा।

ख) विशेषज्ञ पैनल निम्नलिखित के आधार पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (एसीआर)/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का मूल्यांकन करेगा:

- क्या ग्रेडिंग विषयगत अधिकारी के कार्य निष्पादन और उपलब्धियों से मेल खाती है और क्या यह अधिकारी के स्व-मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग, समीक्षा और स्वीकृति प्राधिकारी की टिप्पणियों के अनुरूप है।
- क्या मूल्यांकन में संगतता दिखाई देती है।
- असंगतता के कारण।
- उन मामलों के लिए सामान्यीकरण जहाँ रिपोर्टिंग, समीक्षा या स्वीकृति प्राधिकारी उदार या अनुदार समझे जाते हैं।
- यदि किसी अधिकारी के पास एक से अधिक कार्यभार हैं, तो विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकनों में संगतता।
- विलंब के मामले में मूल्यांकन - क्या ऐसे विलंब स्व-मूल्यांकन के अभाव, समीक्षा प्रक्रिया के अभाव, या स्वीकृति प्रक्रिया के अभाव के कारण हुए हैं।
- विभिन्न क्षेत्रीय रेलों या उत्पादन इकाइयों या रेलवे की अन्य कंपनियों जहाँ किसी विशेष प्रशासनिक इकाई को उदार या अनुदार समझा जाता है, में सामान्यीकरण।
- यदि किसी अधिकारी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो उस पर पर विचार किया जाए।

4. विभिन्न स्रोतों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना (एमएसएफ)

क) विशेषज्ञ पैनल सहकर्मियों, वरिष्ठ सदस्यों, सेवारत सदस्यों, सेवारत महाप्रबंधकों और बाह्य हितधारकों सहित विभिन्न संबद्ध हितधारकों के साथ टेलीफोन पर बातचीत करेगा।

ख) यह प्रतिक्रिया यथासंभव विविध स्रोतों से ली जानी चाहिए।

ग) एमएसएफ न्यूनतम सात (7) व्यक्तियों से एकत्रित की जानी चाहिए।

घ) विशेषज्ञ पैनल अधिकारी के बारे में प्रत्येक हितधारक की राय को एमएसएफ प्रारूप में एकत्र करेगा, जिसमें 7 सरल प्रश्न होंगे (निर्णय लेने, स्वामित्व लेने, अग्रसक्रिय होने, कार्य निष्पादन का ट्रैक रिकॉर्ड रखने, कार्य में सहभागिता तथा नेतृत्व के गुण होने, सत्यनिष्ठा की प्रतिष्ठा और वरिष्ठ स्तर के लिए उपयुक्तता के बारे में) जिन्हें 1 से 5 के पैमाने पर अंक दिए जाएंगे।

ङ) विशेषज्ञ पैनल निष्कपट और सटीक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हितधारकों की अज्ञातता और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

5. समग्र मूल्यांकन से संबंधित प्रलेख गोपनीय रखे जाएंगे।

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2025.

`F. No. 2025/CRB&CEO-CC/04/11.—In exercise of the powers conferred by section 2A of the Railways Act, 1989, as amended from time to time, and in supersession of Ministry of Railways Resolutions dated 27.05.2022 and 10.12.2019, the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

3. **Short title, commencement and application** – (1) These rules may be called the Indian Railway (Selection to Senior Posts) Rules, 2025.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 (3) These rules shall apply to the posts of Chairman & CEO, Members, other Level-17 posts, ex-cadre Level-16 posts and Service-specific Level-16 posts.
2. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - a) “*Act*” means the Railways Act, 1989, as amended from time to time;
 - b) “*Board*” means the Railway Board constituted under corresponding provisions of the Railways Act, 1989 as amended from time to time;
 - c) “*Level 16*” means the HAG+ Pay Level (L 16) as specified in the Pay Matrix under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 or any subsequent revision;
 - d) “*Level 17*” means the Apex Pay Level (L 17) as specified in the Pay Matrix under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 or any subsequent revision;
 - e) “*Organized Group– A Service*” means Indian Railway Accounts Service (IRAS)/IRMS(Accounts), Indian Railway Service of Engineers (IRSE)/IRMS(Engg), Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE)/IRMS(S&T), Indian Railway Traffic Service (IRTS)/IRMS(Traffic), Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME)/IRMS(Mechanical), Indian Railway Service of Electrical Engineers (IRSEE)/IRMS(Electrical), Indian Railway Stores Service (IRSS)/IRMS(Stores), Indian Railway Personnel Service (IRPS)/IRMS(Personnel);
 - f) “*Service Rules*” means the rules applicable to the cadre or service to which an officer belongs, including the Indian Railway Establishment Code, the Railway Services (Pension) Rules, and other applicable Central Civil Services Rules;

3. **Level-17 Posts in Railway Board:**

#	Post
1	Chairman & CEO Railway Board
2	Member (Finance)
3	Member (Infrastructure)
4	Member (Operations & Business Development)
5	Member (Traction & Rolling Stock)
6	Director General (Human Resources)
7	Director General (Safety)

CHAPTER 1 :Appointment of CRB &CEO**4. Appointment of CRB & CEO**

All officers working in L-17 shall be eligible for appointment to the post of Chairman & CEO, Railway Board. Based on experience profile, competence, general reputation, integrity as well as leadership qualities and suitability for the post, one of the officers shall be recommended by the Ministry of Railways for appointment as CRB & CEO for approval of Appointments Committee of the Cabinet (ACC).

5. CHAPTER 2:Selection for other Level 17 Posts**Eligibility for selection**

(a)

#	Post	Services from which officers shall be eligible
1	Member (Finance)	Indian Railway Accounts Service (IRAS)/IRMS(Accounts)
2	Member (Infrastructure)	Indian Railway Service of Engineers (IRSE)/IRMS(Engg) Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE)/IRMS(S&T)
3	Member (Operations & Business Development)	Indian Railway Traffic Service (IRTS)/ IRMS(Traffic)
4	Member (Traction & Rolling Stock)	Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME)/IRMS(Mechanical) Indian Railway Service of Electrical Engineers (IRSEE)/IRMS(Electrical) Indian Railway Stores Service (IRSS)/IRMS(Stores)
5	Director General (Human Resources)	Indian Railway Personnel Service (IRPS)/IRMS(Personnel)
6	Director General (Safety)	IRSE, IRTS, IRSME, IRSEE and IRSSE/ IRMS(Engg),IRMS(Traffic),IRMS(Mechanical),IRMS(Electrical),IRMS(S&T)

(b)

For the posts at sub- section (a) above, officers from the services mentioned against each post, and working in ex-cadreLevel-16 postsor in service specific Level 16 posts, on regular basis, shall be considered. The Service of officers working in ex-cadre Level 16 posts shall be the railway service prior to their appointment in IRMS/ex-cadre.

(c)

Only such of the officers who would be having at least one year residual service on the date of occurrence of vacancy shall be eligible.

6. Method

(a)	Vacancies for the posts falling vacant from January to March of the panel year shall be advertised on 1st of June of the preceding year, while those falling vacant from April to December of the panel year shall be advertised on 1st January of the panel year.
(b)	The cutoff date for determining the eligibility shall be the date of vacancy.
(c)	A Selection Committee shall be constituted under the Chairmanship of Cabinet Secretary with Secretary, DoPT and CRB as Members.

	The Selection Committee shall scrutinize the applications and give its recommendation post wise for consideration of ACC, for appointment to the L-17 posts. The Selection Committee shall devise its own procedure to assess the suitability of the candidates.
(d)	<p>The Selection Committee shall recommend for each post, a panel of two names, one of which will be a 'Reserved name' and kept in sealed cover, to be operated in case the recommended candidate is unable to join due to any reason.</p> <p>The Reserve names shall be in operation till the selected candidate joins the post or till six months from the date of recommendation by Selection Committee, whichever is earlier.</p>
(e)	Any unanticipated vacancies on the posts, arising during the year can be filled from the reserved name for the post, provided that the candidate is otherwise found eligible.

CHAPTER 3: Appointment to ex-cadre Level 16 posts

7. List of ex-cadre L-16 posts

#	Post	Numbers
1	General Managers (Zonal Railways) including Metro Railway	18
2	General Manager, Integral Coach Factory, Chennai	1
3	General Manager, Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan	1
4	General Manager, Banaras Locomotive Works, Varanasi	1
5	General Manager, Rail Wheel Factory, Bengaluru	1
6	General Manager (Construction), Northeast Frontier Railway, Guwahati	1
7	General Manager, Modern Coach Factory, Rae Bareilly	1
8	General Manager, Central Organization for Railway Electrification, Prayagraj	1
9	General Manager, Rail Coach Factory, Kapurthala	1
10	Director General, Research, Designs and Standards Organization, Lucknow	1
11	Additional Member, Planning, Railway Board	1
12	Secretary, Railway Board	1
	Total	29

8. Principles for preparation of panel for appointment to ex-cadre Level-16 posts

- A panel shall be prepared for vacancies arising in a calendar year.
- Officers having at least 2(two) years residual service, as on 1st January of the panel year, shall be eligible for consideration.
- Applications shall be invited batch-wise. However, the officers from all senior batches may also apply; subject to the condition that they fulfill all the prescribed eligibility criteria.
- Panel for these ex-cadre L 16 posts shall be prepared from the eligible candidates, selecting the best suitable officers through a comprehensive assessment by Ministry of Railways and approved by ACC.

- e) Posting shall be done with approval of ACC based on vacancies and suitability of empaneled officers. Empaneled officers will be posted as and when vacancies arise.
- f) There shall be no departmental quota. Also, there shall be no open-line versus non-open-line distinction for posting as General Manager.

9. **Process for preparation of panel for appointment to ex-cadre Level-16 posts**

9.2 **Eligibility**

For being considered eligible for appointment to ex-cadre L 16 posts, the officer should belong to one of the eight Organized Group 'A' Services and should be working in Level 15 [Higher Administrative Grade (HAG)] or above on regular basis.

- 9.2 Eligible officers of the batches to be considered for appointment to ex-cadre L 16 will be asked to apply. Application shall consist of the following:

- i) Top five challenging situations faced by the officer
- ii) Description of top five contributions to the organization in lifetime
- iii) Top five situations of effectively contributing as a team member
- iv) Top three situations of effectively leading teams
- v) Top three system changes done by the officer in entire career

- 9.3 A Selection Committee comprising Chairman & CEO Railway Board, Secretary, DOP&T and one non-railway officer (like Secretary DPIIT, or Secretary MORTH, or CEO NITI Aayog, etc.) to be nominated by Minister of Railways will make an overall assessment of the officer based on following inputs: i) Expert Panel (EP) assessment of ACR/APARs; ii) EP Multi-Source Feedback; and iii) Application.

Internal Guidelines for the assessment process to aid the selection committee in decision making for the empanelment are enclosed as **Schedule-I**.

Based on this overall assessment, the selection committee will recommend the panel, comprising 1.25 times of the vacancies arising during the calendar year for ex-cadre L-16 for approval of the ACC. The enhanced 25% of empaneled officers shall be maintained as an extended panel, to be drawn upon in the event of any likely vacancy arising from sudden or unforeseen circumstances during the validity of the panel.

9.4. **Periodicity of meeting of Selection Committee and currency of panels**

The selection committee shall meet sufficiently in advance before occurrence of vacancies during the next calendar year. Panel shall be valid till 31st December of the panel year.

- 9.6 Sudden or unforeseen vacancy in ex-cadre Level-16, arising during the year shall also be filled from the panel recommended by the Committee.

10. **Appointment of officers on the panel to ex-cadre L 16 posts**

- a) Inclusion in the panel does not entitle appointment to a particular post.
- b) All officers empaneled for ex-cadre L 16 shall be eligible for appointment to all ex-cadre L-16 posts. Keeping in view the specific requirements of the post and suitability of the empaneled officers for the posts to be filled up, officers based on comprehensive assessment will be recommended for appointment as ex-cadre L 16 and equivalent to the Appointments Committee of the Cabinet.
- c) The Ministry of Railways may transfer these officers if it considers expedient to do so in the interest of effective functioning of the railways.

CHAPTER 4: Appointment to service specific Level-16 posts

11.1 **List of service-specific Level-16 posts**

(List of posts as existing and the description and work are subject to change from time to time to suit the requirements of Railways)

S.No.	Service	Designation
1.	IRAS	AM (Finance)
2.		AM (Budget)
3.		DG(IRIFM), Secunderabad
4.		AM (Revenue)
5.	IRPS	AM (Staff)
6.		AM (Human Resources)
7.	IRSE	AM (Civil Engineering)
8.		AM (Works)
9.		Special DG(Engg) ./RDSO/Lucknow
10.		AM (Land & Amenities)
11.		DG(IRICEN), Pune
12.	IRSEE	AM (Railway Electrification)
13.		AM (Traction)
14.		DG(IRIEEN), Nasik
15.		Pr. CAO(PLW), Patiala
16.	IRSME	AM (Mechanical)
17.		AM (Production Units)
18.		AM (Environment and Housekeeping Management)
19.		DG(IRIMEE), Jamalpur
20.		Pr. CAO (RWP), Bela
21.	IRSS	AM (Railway Stores)
22.		Special DG(Vendor Development)/RDSO/Lucknow
23.	IRSSE	AM (Signal)
24.		AM (Telecom)
25.		DG(IRISET), Secunderabad
26.	IRTS	AM (Traffic)
27.		AM (Commercial)
28.		AM (Tourism & Catering)
29.		AM (Marketing & Business Development)
30.		DG(IRITM), Lucknow

11.2 Eligibility

- a) For service specific posts, officers of the relevant service working in Pay Level 15 on regular basis shall be considered in the order of their seniority.
- b) Only such of the officers who would be having at least one year residual service before superannuation on the date of occurrence of vacancy falling in their turn would be eligible for consideration for these posts.

- c) For appointment to the posts of Additional Member (Traffic), Additional Member (Mechanical Engineering), Additional Member (Civil Engineering), Additional Member (Traction), and Additional Member (Signal), in addition to the above requirements, the officer concerned to be considered suitable for these posts should have worked as Divisional Railway Manager (DRM) for a minimum tenure of 15 months, as the incumbents of these posts are directly involved in Railway operations.
- d) Incumbents for the posts of Additional Member shall be recommended by a Selection Committee comprising of Chairman, Railway Board as Chairman, Secretary/DoP&T and the concerned Member of Railway Board, as Members.
- e) Overall performance record of the officer should be 'Very Good (+)' in his/her APARs of the last 10 years. The Selection Committee shall make assessment of officers in the zone of consideration based on APARs (10 years), relevant experience gained by an officer in different assignments, particularly in challenging positions, his/her technical and professional exposure and his/her potential for shouldering higher challenging responsibilities. Also, officers of proven integrity with clean record should only be recommended by the Selection Committee if otherwise suitable for appointment against the posts mentioned at 11.1 above, for approval of the Appointments Committee of the Cabinet.

12. General

12.1 Date of effect

- (i) Any proposal for empanelment or appointment under process in terms of the resolution dated May 27, 2022 shall stand terminated with effect from the date of notification of these Rules.
- (ii) All existing and future vacancies shall be filled up as per the Indian Railway (Selection to Senior posts) Rules, 2025.

13. Relaxation

Any of the above-mentioned provision of the rules, if otherwise considered expedient in the public interest may be relaxed to the extent necessary, with the prior approval of Appointments Committee of the Cabinet.

14. Interpretation

All questions of doubt regarding the interpretation of the rules shall be decided by the Ministry of Railways in consultation with the Department of Personnel & Training and with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet.

- 15. The documents relating to the overall assessment shall be treated as strictly confidential to ensure the fairness and accuracy of the comprehensive assessment process.

ORDER

Ordered that a copy of the Notification be circulated among the members of various Group 'A' Railway Services.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

ANAND KUMAR, Establishment Officer

Schedule-I**Internal Guidelines for comprehensive assessment process for selection of officers into
ex-cadre posts of Level-16 (HAG+) in Railways****1. Batch wise empanelment**

Panel will be created batch wise. There shall be no departmental quotas. Empaneled officers will be posted as and when vacancies arise. Panel for next batch will be prepared well in advance so that the new panel can be considered for filling vacancies arising during the next panel year.

2. Constitution of Experts Panel (EP)

a) A panel of experts (EP) would be created from amongst a set of retired officers. Panel selection would be done with utmost care.

b) Retired officers of following ranks would be considered for creating panel.

- Chairmen and Members of Board
- Secretaries, Government of India
- General Managers (GM)
- Additional Members (AM)
- Principal Heads of Departments (PHODs)

d) The Experts Panel will assist on assessing the ACRs/APARs, getting multi-source feedback, and evaluating the applications.

3. Assessment of ACRs/APARs

a) ACRs/APARs of entire career will be considered for evaluation purpose.

b) EP shall evaluate the ACR/APAR on following grounds:

- Whether the gradings match the performance and achievements of the officer and in the light of the officer's self-assessment and the remarks of the reporting, reviewing and accepting authority.
- Whether the assessment shows a consistent trend.
- Reasons for inconsistencies.
- Normalization for cases where a reporting, reviewing, or accepting authority is known to be liberal or conservative.
- Consistency between assessments by different officers in case an officer holds multiple charges.
- Assessment in case of gaps - whether such gaps have been created due to lack of self-assessment, or due to lack of review process, or due to lack of acceptance process.
- Normalization over different zonal railways or production units or other entities of railways wherever a particular administrative unit is known to be liberal or conservative.
- Consider representation of officers in case any representation is received.

4. Multi-Source Feedback

a) EP will interact telephonically with a range of connected stakeholders including peers, seniors, serving Members, serving GMs and external stake holders.

b) The range should be as diverse as possible.

c) MSF should be collected from a minimum of seven (7) persons.

- d) EP will capture each stakeholder's opinion of the officer in an MSF format having 7 simple questions (about decision making, taking ownership, being proactive, has track record of delivery, being team player and team leader, reputation of being honest, and suitability for senior level) to be scored on a scale of 1 to 5.
 - e) EP will ensure anonymity and confidentiality of stakeholders to elicit honest and accurate feedback.
5. The documents relating to the overall assessment shall be confidential.